

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

परिवाद प्रकरण कं.-80/07
संस्थापित दिनांक-08.03.2007
Reg.No-100080/2007

1. ममता पत्नी अनिल पुत्री दीपचन्द्र जाति विश्वकर्मा, उम्र-35 साल, निवासी- नई बस्ती फतेहाबाद परगना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।परिवादी
विरुद्ध
1. अनिल कुमार पुत्र भैयालाल विश्वकर्मा उम्र 40 साल निवासी:- ईलाइट चौराहा राजघाट रोड ललितपुर (उ.प्र.)।अभियुक्त

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 18.01.2018 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 406 एवं धारा 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अपराध किये जाने का अभियोग है कि दिनांक 09.07.2000 को हाट का पुरा चंदेरी में विवाह में न्यस्त किये गये सामान का बैईमान से उक्त संपत्ति का उपयोग कर आपराधिक न्यास भंग किया तथा विवाह के संबंध में प्राप्त दहेज को मांगे जाने के पश्चात भी 3 माह के भीतर प्रदाय नहीं किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि फरियादी ममता का विवाह अनिल कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज अनुसार दिनांक 09.07.2000 को सम्पन्न हुआ था तथा उनके संसर्ग से हिमांशु उर्फ सचिन का जन्म हुआ।

03- परिवाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी का विवाह दिनांक 09.07.2000 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हाटकापुरा चंदेरी में अनिल कुमार के साथ सम्पन्न हुआ था तथा विवाह पश्चात उन्हें एक संतान हिमांशु उर्फ सचिन का जन्म हुआ था। दिनांक 04.09.2002 से परिवादी का ससुर भैयालाल उसे छोड़ गया था तब से अभियोगी विवस होकर अपने पिता दीपचन्द्र के यहां निवास कर रही है। अभियोगी की पिता गरीब मजदूर है तथा स्वयं का भरण पोषण करने में भी असमर्थ है। अभियोगी के पिता ने शादी में अपनी हैसियत के मुताबित इच्छानुसार दान दहेज दिया था जो वर्तमान में आरोपीगण के कब्जे में है तथा उक्त लोग उक्त दान दहेज के सामान का उपयोग कर रहे है। दान दहेज में जो सामान दिया था उसमें दिनांक 08.04.2000 को अभियोगी के चाचा लालचन्द्र ने टीका फलदान में 11,551/- रुपये नगद, 1785/- रुपये बिदाई में, 7000 रुपये के 36 व्यक्तियों के कपडे दिये थे।

04— दिनांक 08.04.2000 को स्वर्गीय श्रीमती हरकुंअर बाई ने सोने की जंजीर, दिनांक 09.07.2000 को स्वर्गीय बंशीलाल द्वारा 1,151/— रुपये लगून में तथा 5000/— द्वाराचार में, दिनांक 10.07.2000 को अभियोगी के पिता ने 124 नग स्टील के गिलास, पंगती में दूल्हे को 501 रुपये, पॉव पखराई में 1000/— रुपये, बेला में 1101/— रुपये, बंद खुलबाई में 501/— रुपये, बिदाई में बरातियों को 620/— रुपये, काका लालचन्द्र ने टेबल फेन सिन्नी कंपनी कीमत 1150/— रुपये, टीबी ब्लैक एण्ड व्हाइट 1200/— रुपये, सोफासेट राजश्री 5000/— रुपये, पलंग 3000/— सिलाई मशीन 1400/— रुपये, व्यवहारियों द्वारा दिये गये बर्तन, ससुराल पक्ष द्वारा चढाया गया जैबर आदि आरोपीगण के कब्जे में है, जिसका आरोपीगण उपयोग, उपभोग कर रहे हैं तथा बार-बार मांगे जाने पर भी उक्त सामान वापस नहीं किया गया है। दान दहेज में जो स्त्रीधन माना गया है तथा सूची अनुसार जो दान दहेज स्त्रीधन की परिभाषा में आता है उसके उपयोग और उपभोग करने का अधिकार केवल अभियोगी को ही है जिसे विवाह के 6 माह की अवधि के अन्दर वापस अभियोगी के आधिपत्य में दिया जाना चाहिये जो नहीं दिया गया है। अतः आरोपीगण के विरुद्ध धारा 4 व 6 दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 तथा धारा 406 भा0द0वि0 1860 के अन्तर्गत न्यायालय में यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

05— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर आरोपी द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

06— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.07.2000 को हाट का पुरा चंदेरी में विवाह में न्यस्त किये गये सामान का बैईमान से उक्त संपत्ति का उपयोग कर आपराधिक न्यास भंग किया ?
2.	क्या उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर विवाह के संबंध में प्राप्त दहेज को मांगे जाने के पश्चात भी 3 माह के भीतर प्रदाय नहीं किया ?

—:: विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 2 निष्कर्ष एवं आधार ::—

07— सुविधा की दृष्टि एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। परिवादी की ओर से प्रकरण में स्वयं परिवादी ममता, दीपचंद्र विश्वकर्मा, राजेश कुमार, नीलेश, मोतीलाल एवं लालचंद्र की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराई गई है।

08— ममता (प.सा.-1) ने उसके आरोप पूर्व मुख्य परीक्षण में बताया कि उसका विवाह 9 जुलाई 2000 अनिल के साथ हिंदू रिति रिवाज से हुआ था और वह शादी के एक साल तक अनिल के साथ रही और उसके एक बच्चा हिमांशु का जन्म हुआ था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके ससुर भैयालाल पहने हुये कपड़ों में उसे व उसके लडके को छोड़ गये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि वह बीमार थी तो भैयालाल कहने लगे कि चलों तुम्हारा उपचार करा दें और उसे माता-पिता के यहां छोड़ गये। उक्त साक्षी ने आरोप पूर्ण के मुख्य परीक्षण में बताया कि शादी से पहले उसकी गोद बराई, टीका फलदान 04.04.2000 को हुआ था और उसके माता-पिता ने दहेज में उसे ब्लेक एण्ड व्हाइट टीवी, पंखा साढ़े ग्यारह हजार रुपये का, सोफा सेट पांच हजार रुपये का, सिंगल बैड का पंलग तीन हजार रुपये का, पैरदान मशील अंजता कंपनी की सोलह हजार रुपये की, टीका फलदान लगुन में ग्यारह सौ रुपये, द्वारचार में दादा ने पांच हजार रुपये दिये थे, दादी ने सोने की जंजीर दी थी, माता पिता ने बर्तन बगैरह दिये थे, दो थाली एक लोटा, एक परात चार किलो की, एक हजार रुपये पांव पखरी में, एक मंगलसूत्र एक-ढेड़ तोले का, बताने दो, एक जोड़ी पायल चांदी की, एक जोड़ी करदोनी, मुचायने में सोने की अंगूठी, तीन चांदी की अंगूठी, चौबीस जोड़ी बिछुड़ी, दो जोड़ी बाली, तीन जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी की चैन, 470/- रुपये मुचायने में जुड़े थे। उक्त सारा सामान भैयालाल, गोविंद, कमलाबाई, विधाबाई, मनोज, अंतिम, भुगईयाबाई तथा बटोरेलाल के पास है। इनके साथ कमलेश जिससे अनिल ने दूसरी शादी कर ली, वह भी सामान का उपयोग व उपभोग कर रही है। परिवादी ममता को शादी में उक्त सामान दिये जाने एवं उक्त सामान परिवादी की ससुराल में होने के संबंध में सार्थतः समर्थन एवं कथन दीपचंद्र विश्वकर्मा (प.सा.-2) राजेश कुमार (प.सा.-3), नीलेश (प.सा.-4), मोतीलाल (प.सा.-5) एवं लालचंद (प.सा.-6) ने भी किया है।

09— ममता (प.सा.-1) ने उसके आरोप पूर्व साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के पैरा-2 में बताया कि उसकी यादास्त कमजोर है और वह काम नहीं कर पाती है तथा उसके पिता उसका भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। उसके द्वारा बताया गया कि सामान के बिल प्रपी-1 लगायत प्रपी-4, पांव पखारे की रसीद प्रपी-5 तीन पृष्ठ में, प्रपी-6 ज्ञानचंद के यहां से खरीदी गये सामान की रसीद तथा प्रपी-7 दीपक रेडीयो एवं केमीकल की रसीद प्रस्तुत की। आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के पैरा-3 में ममता (प.सा.-1) ने बताया कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर भैयालाल, कमला, गोविंद, विधाबाई और अनिल के विरुद्ध धारा 498 का केस चल रहा है। उक्त दोनों प्रकरण में भी उसने कथन दिये थे, जिसमें अनिल को दोषी पाया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी भैयालाल ने उनके विरुद्ध झूठा दावा ललितपुर में लगाया था कि वह (ममता) सामान लेकर घर से भाग गयी है।

10— ममता (प.सा.-1) ने बताया कि प्रडी-1 की कंडिका-3 में लिखित सामान वह कभी आरोपीगण के घर से लेकर नहीं गयी थी और प्रडी-1 की कंडिका-3 के कथन असत्य है। प्रकरण में संलग्न प्रडी-1 का दस्तावेज जो कि परिवाद पत्र की प्रमाणित

प्रतिलिपि है, जिसमें आरोपी भैयालाल द्वारा परिवादी ममता सहित अन्य आठ लोगों के विरुद्ध धारा 147, 406, 323, 504, 506 भा.द.वि. के तहत सीजेएम ललितपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-3 में बताया कि प्रडी-2 का दावा अनिल कुमार ने लगाया था तथा प्रपी-1 लगायत प्रपी-7 पर अनिल कुमार तथा उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। आरोप पूर्व साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में उक्त साक्षी ने बताया कि उसने अनिल कुमार या उसके परिवार को सामान वापिस करने के संबंध में नोटिस नहीं भेजा था उक्त बात का समर्थन दीपचंद्र विश्वकर्मा ने भी उसके आरोप पश्चात प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में किया है। ममता (प.सा.-1) ने स्वतः कहा कि चंदेरी तथा ललितपुर की अदालत में सामान मांगा था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उन्होंने चंदेरी मुकदमे किये हैं आरोपीगण ने ललितपुर में मुकदमें किये हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य पूर्व से मुकदमेबाजी चलती रही है। ममता (प.सा.-1) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके परिवार वालों ने अनिल कुमार को कोई सामान नहीं दिया था।

11- राजेश कुमार (प.सा.-3) ने उसके आरोप पूर्व के मुख्य परीक्षण के पैरा-3 में बताया कि ममता उसके पिता के यहां शादी के बाद से जब से उसे छोड़कर गये तब से रह रही है उसे लिवाकर नहीं ले गये हैं। उक्त साक्षी का कहना है कि ममता को इसलिये नहीं ले गये हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उक्त साक्षी का कहना है कि दहेज का सामान उन्होंने वापिस नहीं किया है। नीलेश (प.सा.-4) ने भी उसके आरोप पूर्व मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में बताया कि ममता के दहेज में दिये गये सामान का उपयोग भैयालाल, गोविंद, विधाबाई, कमलेश व आनंदी करते हैं। ममता द्वारा उक्त सामान मांगे जाने पर इंकार कर दिया है। मोतीलाल (प.सा.-5) व लालचंद (प.सा.-6) ने भी उनके आरोप पूर्व मुख्य परीक्षण में बताया कि परिवादी ममता को दिये गये सामान का उपयोग अनिल व उसके परिवार वाले कर रहे हैं और मांगे जाने पर वापिस नहीं किया है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य में समस्त साक्षीगण ने इस बात को व्यक्त किया है कि परिवादी ममताबाई को शादी में दिये गये सामान का उपयोग आरोपी अनिल व उसके परिवार वाले कर रहे हैं तथा मांगे जाने पर भी अनिल द्वारा उक्त सामान को वापिस नहीं किया गया है। यद्यपि परिवादी पक्ष की ओर से विवाह के समय परिवादी को शादी में दिये गये सामान आदि की कोई लिस्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है, किंतु स्वयं परिवादी एवं उसके साक्षियों ने विवाह में जो सामान परिवादी को दिया गया था उसके संबंध में विस्तृत रूप से कथन किये हैं जिसका भी बचाव पक्ष की ओर से कोई खण्डन भी नहीं किया गया है, तथा बचाव पक्ष की ओर से परिवादी एवं उसके साक्षीगण का विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है, समस्त साक्षीगण के उक्त कथन प्रतिपरीक्षण में भी पूर्णतः अखण्डनीय रहे हैं। संपूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी का न तो यह बचाव है कि उसे उसकी शादी में दहेज या भेंट के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है और न तो यह बचाव लिया गया है कि आरोपी द्वारा उसको शादी में दिया गया सामान उसके द्वारा परिवादी व परिवादी पक्ष को वापिस कर दिया है।

12— बचाव पक्ष की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध किये जाने का आरोप है, जिसका परिसीमा काल द.प्र.सं. की धारा 468 के तहत तीन वर्ष होने से उक्त परिवाद समया वाधित है। धारा 468 द.प्र.सं. तीन वर्ष की अवधि तक के दण्डनीय अपराध के संबंध में संज्ञान लिये जाने के संबंध में प्रावधान करती है, परंतु जहां न्यायालय द्वारा एक बार अपराध का संज्ञान किया जा चुका है, वहां उक्त अपराध के संज्ञान के संबंध में वही न्यायालय उक्त आदेश का पुनर्वलोकन नहीं कर सकता है, इसके अलावा परिवादी पक्ष की साक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष के द्वारा शादी में दिये गये सामान को बार-बार मांगे जाने पर भी वापिस नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में भी उक्त अपराध निरंतर होने वाला अपराध की श्रेणी में आने से बचाव पक्ष का उक्त तथ्य मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

13— बचाव पक्ष की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने न्यायदृष्टांत विनोद कुमार शेठी और अन्य विरुद्ध स्टेट आफ पंजाब एण्ड अन्य प्रस्तुत किया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिभारानी विरुद्ध सूरज कुमार और अन्य 1985 में ऑवररूल कर दिया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिभा रानी विरुद्ध सूरज कुमार ए0आई0आर0 1985 एस.सी. 628 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ पति और ससुर द्वारा एक हिन्दू स्त्री को उसके ससुराल से निकाल दिया गया है एवं कई बार मॉगें जाने पर भी उसके आभूषण, कपडे और उसका धन लौटाने से मना किया गया, उक्त कृत्य आपराधिक न्यायभंग की श्रेणी में आता है जो कि धारा 406 भा0दं0सं0 के अनतर्गत दण्डनीय है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायदृष्टांत से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

14— भारतीय दण्ड संहिता धारा 406 के अपराध को प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त को संपत्ति न्यस्त की गयी हो अथवा उसका इस पर नियंत्रण हो, उसके द्वारा उसका दुर्व्यपदेशन किया था अथवा इसे स्वयं के उपयोग के लिये परिवर्तित किया था अथवा इसका उपयोग किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध करणवीर ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 2211 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुर्विनियोग किये जाने की प्रक्रिया का अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियोजन द्वारा सम्पत्ति को न्यस्त किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अभियुक्त पर यह भार है कि वह प्रमाणित करे कि उक्त संपत्ति विधिवत् रूप से उपयोग की गयी थी अथवा उक्त संपत्ति किस प्रकार उपयोग की गयी थी।

15— साक्ष्य के अवलोकन एवं अभियुक्त अनिल के दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए उसके द्वारा विवाह में सामग्री प्राप्त किया जाना दर्शित है। उक्त परिस्थितियों में स्पष्ट बचाव के अभाव में अभियुक्त अनिल का दायित्व स्थापित हैं। परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष की ओर से अभियुक्त अनिल को विवाह के समय जो संपत्ति दी गयी थी उक्त संपत्ति को अभियुक्त अनिल द्वारा आज

परिवाद प्रकरण क्रमांक-80/07

Reg.No-100080/2007

दिनांक तक परिवादी को या उसके परिवार को वापिस नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त संपत्ति का उपयोग वर्तमान में अभियुक्त अनिल द्वारा किया जा रहा है तथा परिवादी पक्ष द्वारा विवाह के समय दिये गये सामान को मांगे जाने के बाद भी उक्त सामान को परिवादी को अभियुक्त द्वारा वापिस किये जाने का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 406 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

16— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त अनिल को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

17— अभियुक्त अनिल को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त अनिल की ओर से कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। परिवादी की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण के अवलोकन एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अनिल को धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड से व्यतिक्रम में अभियुक्त अनिल को एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5,000/— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा करने में हुये व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

18— अभियुक्त की उपरोक्त दोनों मूल सजायें साथ-साथ भुगतायी जावे।

19— अभियुक्त द्वारा जुर्माने की राशि जमा किये जाने पर परिवादी ममता को उक्त जुर्माने की राशियों से 6,000/—रुपये प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

20— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

परिवाद प्रकरण क्रमांक-80/07

Reg.No-100080/2007

22- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

23- अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)